

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न क्र : 1982
30 , 2021 प्रश्न क्र
चिकित्सा छात्रों के लिए रोटेशनल इंटरशिप प्रशिक्षण

1982. श्रृंखला क्र :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करें कि

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने अनिवाय रोटेशनल इंटरशिप, 2021 के लिए -निर्देश जारी किए हैं तहत एम.बी.बी.एस. छात्र को आयुष में इंटरशिप करनी होगी और चिकित्सा, नर्सिंग, दंत चिकित्सा विनियमों का क्या औचित्य है;

(ख) आयुष छात्रों के लिए एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में इंटरशिप करना अनिवाय कर दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या विनियमों से छात्रों को दवाओं को विभिन्न प्रकार के रोगों करने और रोगियों को मदद करने में सक्षम बनाने को संभावना है?

२

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सूचित किया है कि अनिवाय चिकीत्य इंटरशिप के प्रारूप जनता से टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु जारी किया है। इस प्रारूप अधिनियम ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली में एक समाह के इंटरशिप को व्यवस्था को है। यह हिस्सा अनिवाय नहीं बल्कि वैकल्पिक है। चिकीत्य वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं, बशत कि वह विषय उस कॉलेज/संस्थान में उपलब्ध होना चाहिए जहाँ चिकीत्य (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथी, सोवा रिप्पा) का प्रशिक्षण है। औचित्य एमबीबीएस छात्रों को आयुष विषय का ज्ञान प्रदान करना है।

और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी (आयुष) मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद (भारतीय चिकित्सा शिक्षा हेतु न्यूनतम मानक) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार बीएएमएस छात्रों को एकवर्षीय इंटरशिप को कॉलेज से संलग्न आयुष अस्पतालों में 6 महीने को क्लिनिकल ट्रेनिंग और 6 माह को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या जन अस्पताल या चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में बाँटा गया है। इसमें यह भी है कि जहाँ कोई विधान नहीं है या आयुष छात्रों को राज्य सरकार ने आधुनिक जिला अस्पताल या डिस्पेंसरी में इजाजत नहीं दी है तो एक वर्ष को इंटरशिप आयुष कॉलेज के अस्पतालों में ही पूरा को जाएगी।
